



भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : roc.lko-mef@nic.in, goimofrolko@gmail.com

पत्र सं० : 8बी/यू0पी0/06/12/2023/एफ.सी./131

दिनांक: 09.10.2024

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Approach/145661/2021

विषय: जनपद देवरिया के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि० द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस०एच०-79) के किमी० नं०-14 से 15 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या-908, ग्राम-कोन्हवलियाँ, पो०-कंचनपुर, तहसील व जिला देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 626/11-सी-FP/UP/Approach/145661/2021, दिनांक 03.09.2024.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक पी-388/81-2-2022-800(403)/2022, दिनांक 12.01.2023 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में इस कार्यालय के सम-संख्यक पत्र दिनांक 01.08.2024 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आवश्यक जानकारी/सूचनाएं मांगी गयी थी, जिसकी अनुपालना उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित की गयी है। प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दु पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके:-

1. As per Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC) Notification No. 11/113/2022-FC, dated 15.05.2023, the Divisional Forest Officer (DFO) / Deputy Conservator of Forest (DCF) is empowered to file a case/complaint in the court having jurisdiction in the matter.
DFO Deorea was asked to initiate action under section 3A, 3B for violation, under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. Thus, the concerned DFO is requested to submit report on status of filing of the case in the Hon'ble Court.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया।
5. उप महाप्रबन्धक(रिटेल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०, गोरखपुर-देवरिया रोड, बैतालपुर, देवरिया।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}